

भाग-II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)


प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7. प्रयोजना / स्कीम का स्थान	जनपद लखनऊ में राष्ट्रीय मार्ग-24 मड़ियांव से नवीन गल्ला मण्डी तक मार्ग के कि०मी० 489 से 493 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य में बाधक 63 वृक्षों के पातन एवं 1.11 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में।
(i) राज्य / सघ शासित प्रदेश	उ०प्र०
(ii) जिला	लखनऊ
(iii) वन प्रभाग	अवध वन प्रभाग
(iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में)	1.11
(v) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि
(vi) प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) (सिवाई/जलीय प्रयोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल०-4 गी० भी संलग्न की जाये)।	63 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिसकी सूची संलग्न है।
(vii) वनस्थिति का घनत्व	0.1
(viii) मृ क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर सक्षिप्त टिप्पणी	मृ-क्षरण नहीं है, प्रमाण पत्र संलग्न है
(ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्तर की वन सीमा से अनुमानित दूरी	वन भूमि से मिला है।
(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जीवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हाँ तो, क्षेत्र का व्यौरा तथा मुख्य वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ संलग्न करें)।	नहीं है
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजगत की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ तो तत्त सम्बन्धित व्यौरा दें ?	नहीं है
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वी पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान/ कोई और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हाँ तो तत्तसम्बन्धित व्यौरा सहित प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं है
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1, कालम-2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता प्रयोजना के लिए अपिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्प के व्यौरों के साथ मदवार क्षेत्र क्या है।	हाँ न्यूनतम है
9. क्या कोई कार्य अधिनियम का उल्लंघन करते हुए किया गया है (हो/नहीं) यदि हाँ, तो किए गये कार्यों की अवधि, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही सहित व्यौरा दें, उल्लंघन करते हुए कार्य क्या अभी चल रहे हैं।	नहीं है
10. क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम के व्यौरा	
(i) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी मृ-खण्डों की संख्या प्रत्येक मृ-खण्ड का आकार	वन भूमि से मिला है। एक मृखण्ड है।
(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र /अवकमित वन क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	मानचित्र संलग्न है
(iii) रोपित की जाने वाले प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	आम, नीम, जामुन, प्रासपिस आदि
(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय (म० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य/एन०पी०वी०)	1. प्रभावित 1.11 हे० के दुगुने अर्थात् 2.22 हे० अवनत वन भूमि में रोपण हेतु रू० 216502.00 प्रति हे० की दर से रू० 480634.00 व्यय आयेगा। 2. प्रभावित 63 वृक्षों के 10 युना अर्थात् 630 पौधों का तारबाड़ रोपण तथा 7 वर्षों तक रखरखाव हेतु रू० 569813.00 व्यय आयेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर कुल व्यय रू० 1050447.00 3. प्रभावित 1.11 हे० संरक्षित वन भूमि की एन०पी०वी० रू० 626000.00

	प्रति हे० की दर से 694860.00 का व्यय आयेगा। कुल धनराशि रू० 1764317.00 (रू० सत्रह लाख चौसठ हजार तीन सौ सत्रह मात्र)
(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समक्ष प्राधिकारी से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	संलग्न है
11. जिला उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है। रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)।	-
12. प्रभाग/जिला प्रोफाइल :	अवध वन प्रभाग, लखनऊ/लखनऊ
(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	252800 हे०
(ii) जिले का वन क्षेत्र	10327.12 आरक्षित वन, 259.80 संरक्षित वन
(iii) 1980 के बाद कुल वन क्षेत्र का वनेतर उपयोग मामलों की संख्या के साथ	67 मामले 183.87 हे०
(iv) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण पर	
(क) दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण को शामिल करते हुए वनभूमि	185.54 हे०
(ख) वनेतर भूमि	5.27
(v) अब तक प्रतिपूरक वनीकरण की प्रगति	
(क) वनभूमि	106.26
(ख) वनेतर भूमि	1.56
13. कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।	जनहित एवं विकास कार्य हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक:-

स्थान:- लखनऊ।


क्षेत्रीय वनाधिकारी,
लखनऊ।

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
लखनऊ।

(एस.सी. यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ